

विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची-2012

मई-2012

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(शिक्षा)08/2006	श्री उमेश्वर प्रसाद देव सेवानिवृत्त शिक्षक उच्च विद्यालय नगर उंटारी गढ़वा के वरीय वेतनमान एवं पेंशन निर्धारण के संबंध में ।	04.05.2012	माध्यमिक शिक्षा निदेशक झारखण्ड राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को सभी देय पावनाओं का भुगतान वर्ष 2002 में ही कर दिया गया तथा प्रवरण वेतन मान से संबंधित मामला सरकार के स्तर पर चल रहा है जो लागु होने की दशा में उनको इसका भुगतान कर दिया जाएगा । इस संबंध में पर्याप्त पत्राचार के बाद भी परिवादी का मंतव्य अप्राप्त है । अतः माध्यमिक शिक्षा निदेशक झारखण्ड राँची के प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(शिक्षा)31/2011	डॉ० के.एम.साही सेवानिवृत्त सहायक असैनिक शल्य चिकित्सक धनबाद से प्राप्त शिकायत के संबंध में ।	04.05.2012	परिवादी को अपने परिवाद के निराकरण के लिए अन्य उपचार प्राप्त है अतः परिवादी को उस ओर पहल करना चाहिए ।
3.	01/लोक(शिक्षा)11/09	श्री पूर्णानन्द जिला सिंह शिक्षा अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर द्वारा मनमाने ढंग से अधिकारियों से तथ्य छिपाकर 12 शिक्षकों की अवैद्य नियुक्ति किये जाने के संबंध में ।	10.05.2012	प्राथमिक शिक्षा निदेशक झारखण्ड राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम पर लगे आरोप सही पाये जाने के पश्चात उन्हें निलम्बित कर दिया गया तथा अवैद्य रूप से नियुक्त 12 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दिया गया । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	02/लोक(शिक्षा)19/2009	एम० ए० भूगोल में राँची विश्वविद्यालय राँची में बी० पी० एल कोटा के तहत नामांकन नहीं होने के संबंध में ।	10.05.2012	राँची विश्वविद्यालय के जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
5.	02/लोक(शिक्षा)96/2005	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंहा सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय बड़ा जामदा प० सिंहभूम के अव्यवहृत अवकाश के बदले नगद राशि के भुगतान के संबंध में ।	02.05.2012	परिवाद सन 2000 में बिहार लोकायुक्त पटना में दायर किया गया था । परिवाद के अद्यतन स्थिति की मांग पर्याप्त पत्राचार के द्वारा परिवादी से किया गया परन्तु परिवादी से अद्यतन स्थिति प्राप्त नहीं हो सका। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
6.	02/लोक(मानव सं०)06/2008	श्री माला भगत पूर्व सी डी पी ओ श्रीमती सविता वर्मा, वर्तमान सी डी पी ओ, पूर्व प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (श्री गोपाल भगत) सभी प्रखण्ड पदमा	21.05.2012	वर्तमान परिवाद तथा परिवाद सं० 01/लोक(प्रा०शिक्षा) 01/2009 का विषय वस्तु तथा परिवादी एवं प्रतिवादी एक ही है जिसमें पूर्व में ही सुनवाई के उपरान्त संचिकास्त किया जा

	जिला हजारीबाग तथा ग्राम शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष श्री फूल चन्द महतो द्वारा पैसा लेकर अयोग्य अभ्यर्थियों को सेविका तथा सहायिका के पद पर नियुक्त किया जाना ।	चूका है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
--	---	---

राजस्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(राजस्व) 23/07	विरेन्द्र कुमार सिंह ग्राम-करकरा प्रखण्ड ईटखोरी जिला-चतरा के रैयति जमीन पर बी.डी.ओ. ईटखोरी द्वारा ईन्दिरा आवास बनवाने के सयंबंध में शिकायत ।	21.05.2012	परिवाद रैयती जमीन पर कबजे को लेकर है जिसका निपटारा सिविल कोर्ट के द्वारा ही संभव है अतः परिवादी को चाहिए कि वह परिवाद के निराकरण के लिए सक्षम न्यायालय की ओर पहल करे ।
2.	01/लोक(राजस्व)01/2 009	विकलांग नान्हू यादव वल्द स्व० राम टहल यादव साकिन डालाकला थाना विश्रामपुर पलामू के कृषि योग्य भूमि को अंचलाधिकारी विश्रामपुर तथा अन्य सरकारी सेवक द्वारा गडढा करवा देना के फलस्वरूप रोटी रोजी का समस्या उत्पन्न कराने का आरोप ।	07.05.2012	अंचलाधिकारी विश्रामपुर के प्रतिवेदन के आलोक में तथा परिवादी द्वारा प्रतिवेदन पर अपना सहमति के फलस्वरूप परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(राजस्व) 08/09	श्री जयनरायण महतो सेवा निवृत्त पंचायत सेवक गोमिया प्रखण्ड जिला बोकारो का पेंशन एवं भविष्य निधि की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	26.05.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को सभी देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया तथा पेंशन से संबंधित कागजात बैंक में भुगतान के लिए भेज दिया गया है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	02/लोक(राजस्व)05/1 1	श्री राम नगीना राम सेवानिवृत्त राजस्सव कर्मचारी बरही हजारीबाग द्वारा कोषागार पदाधिकारी हजारीबाग के असहयोगात्मक आचरण के विरुद्ध शिकायत ।	26.05.2012	परिवादी को पेंशन का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा काराया गया ।
5.	01/लोक(राजस्व)02/1 1	श्री दयानन्द झा बाजला महिला कालेज के सामने देवघर द्वारा स्टाम्प राशि वापस नहीं किये जाने के कारण मुद्रांक वापसी पदाधिकारी (अनुमंडलाधिकारी देवघर) के विरुद्ध प्राप्त शिकायत ।	28.05.2012	उपायुक्त देवघर के द्वारा परिवादी को सटाम्प राशि की वापसी लोकायुक्त के कार्रवाई के पश्चात कर दिया गया । इस प्रकार परिवाद बंद कर दिया गया ।
6.	02/लोक(राजस्व)38/0 7	श्रीमती लीली मराण्डी पति स्व० गमाल मुर्मु परिमापक निरीक्षक बंदोवस्त कार्यालय दुमका का बकाये वेतन के भुगतान के संबंध में ।	28.05.2012	परिवादीनी के सभी देय पावनाओं का भुगतान तथा पेंशन का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया । इस प्रकार परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

पुलिस विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कारा)01/02	शुकदेव प्रसाद सिंह कारापाल मंडल कारा धनबाद के पारिवारिक पेंशन का पुननिर्धारण के संबंध में शिकायत ।	29.05.2012	परिवाद काफी पुराना है। इस संबंध में परिवादी से परिवाद की अद्यतन स्थिति के संबंध में मंतब्य मांगा गया था परन्तु पर्याप्त पत्राचार के बाद भी परिवादी द्वारा अद्यतन स्थिति से कार्यालय को अवज्ञत नहीं कराया गया अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	01/लोक(पुलिस)7/11	अवैद्य वसूली के लिए उद्योग संचालकों को भयादोहन करने पर थाना प्रभारी सुमन आनन के विरुद्ध श्री कंठी लाल मंडल का शिकायत ।	28.05.2012	परिवादी से कई स्मार पत्रों के बाद भी मंतब्य कार्यालय को प्राप्त नहीं होने के कारण तथा संबंधित विभाग द्वारा आरोपी थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ किये जाने के कारण पविाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
3.	01/लोक(पुलिस)12/11	पुलिस पदाधिकारी द्वारा घुस मांगने तथा झुठा केस में फंसाने के संबंध में कार्रवाई करने के संबंध में श्री बच्चा बाबू मिस्त्री का शिकायत ।	30.05.2012	आरोपी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ किया जा चुका है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
4.	01/लोक(पुलिस)25/06	गुंजन मेहरा प्रशाखा पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक रेल कार्यालय झारखण्ड राँची द्वारा श्री अशोक कुमार सिन्हा झारखण्ड पुलिस सेवा 1983 पर जातिय भेदभाव के तहत परेशान करने के संबंध में ।	20.05.2012	यह परिवाद एक लोकसेवक के विरुद्ध दुसरे लोकसेवक के द्वारा किया गया है । अतः यह परिवाद झाराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
5.	01/लोक(पुलिस)18/11	भू-माफिया के द्वारा मौजा तारूप थाना नं०-62 अंचल राँची में कृषि फार्म के घेराबंदी को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में श्री सिद्धार्थ नाथ शहदेव, लेक रोड, राँची का शिकायत ।	04.06.12	वरीय पुलिस अधीक्षक राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अधार पर परिवादी से पर्याप्त पत्राचार द्वारा मंतब्य की मांग की गई परन्तु परिवादी से मंतब्य प्राप्त नहीं हो सका। इससे स्पष्ट है कि परिवादी को रिपोर्ट पर कुछ नहीं कहना है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(ग्रा०वि०वि०)08/12	स्व० महेश कान्त झा सेवा निवृत्त पंचायत सेवक का सेवान्त लाभ के संबंध में मो० कल्याणी देवी का शिकायत ।	10.05.2012	परिवादनी द्वारा माननीय उच्च न्यायलय झारखण्ड राँची में दायर परिवाद पर अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है । अतः अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

2.	01/लोक(ग्रा0वि0वि0)08/11	हेहल राँची स्थित राज्य ग्रामीण विकास संस्थान मुख्य भवन एवं चाणाक्य हॉस्टल, निदेशक कक्ष एवं फर्श व विद्युत अधिष्ठापन की विशेष मरम्मति कार्य के संबंध में ।	14.05.2012	परिवाद पत्र में लगाये आरोपों को उप विकास आयुक्त राँची के जांच प्रतिवेदन में सही नहीं पाया गया । अतः परिवाद पर आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(ग्रा0वि0वि0) 7/08	राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 के तहत सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम में की गई अनियमितता की जांच के संबंध में ।	15.05.2012	उपायुक्त चाईबासा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें सामाजिक अंकेक्षण का कार्य सृजन महिला विकास मंच को दिया गया परन्तु लिपिकीय भूलवश सृजन महिला मंडल लिखा गया जो मात्र एक मानवीय भूल है। इस पर किसी प्रकार परिवाद नहीं बनता है। अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।
4.	01/लोक(ग्रा0वि0वि0)02/11	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण राँची द्वारा ह्यूमैनिटी को आवंटित रातु प्रखण्ड में एस0 एच0 जी0 गठन का एक भी पैसा LEO रातु की गलत मंशा के कारण आज तक भुगतान नहीं करने के संबंध में शिकायत ।	30.05.2012	महिला प्रसार पदाधिकरी के जांच प्रतिवेदन जिसमें कहा गया है कि संस्था के द्वारा एम0 ओ0 यू0 के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण संस्था को किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

कृषि विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कृषि)17/11	सिमडेगा जिला के बानो प्रखण्ड में विभिन्न पदाधिकरियों के मिली भगत से सबसिडियुक्त पदार्थ यथा धान बीज , सोलर लैम्प, त्रिपाल आदि की कालाबजारी केसंबंध में प्राप्त शिकायत ।	03.05.2012	परिवादी अपने परिवाद के निराकरण के माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में जनहित याचिका दायर किये है इस दशा में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।
2.	02/लोक(कृषि)10/08	स्व0 मो0 वासे सेवा निवृत्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सदर गोड्डा का बकाया सेवान्त लाभ की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	09.05.2012	यह परिवाद माननीय लोकायुक्त बिहार पटना के कार्यालय में लम्बित है। अतः परिवाद पर आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	01/लोक(कृषि)06/11	श्री गोकुल मेहरा कृषि निदेशक झारखण्ड राँची के द्वारा पद का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार फैलाने के संबंध में डॉ. सुदेश्वर सिंह से प्राप्त शिकायत ।	14.05.2012	संबधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों को सही नही पाया गया का उल्लेख है, के अलोक में परिवाद पर आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(स्वा0)06/2009	श्रीमती कुसूम कंठ सेवानिवृत्त महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुसैनाबाद को 16 के स्वीकृति उपरान्त बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	17.05.2012	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में व्याप्त त्रुटियों का निराकरण नहीं किया गया इससे प्रतीत होता है कि परिवादी अपने परिवाद को चलाने के प्रति इच्छुक नहीं है ।
2.	02/लोक(स्वा0)15/2008	डा० ररामरत्न बर्णवाल सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा का स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का पेंशन निर्धारण के संबंध में ।	17.05.2012	महालेखाकार झारखण्ड राँची के द्वारा पकेशन के निर्धारण पर उठाए गए आपत्ति का निराकरण करके पुनः महालेखाकार को भेज दिया गया है । इस संबंध में परिवादी से अद्यतन स्थिति की माग की गई जो अबतक अप्राप्त है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(स्वा0)13/2009	डॉ० बैकुण्ठ उपाध्याय सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा पदाधिकारी धनबाद का पेंशन आदि का भुगतान से संबंधित शिकायत ।	17.05.2012	कार्यालय द्वारा त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप परिवादी को सभी वैधानिक देयपावनाओं का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया ।

वन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(वन)06/2011	श्री श्याम बिहारी प्रसाद सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक को द्वितीय वृत्ति उन्नयन योजना अन्तर्गत वित्तीय लाभ देने के संबंध में ।	04.05.2012	परिवादी पूर्व में ही परिवाद के निराकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया है जो वर्तमान में लम्बित है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।

उद्योग विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(उद्योग)05/11	रियाडा द्वारा आवंटन प्रस्ताव निर्गत करने के बावजूद भूमि आवंटन नहीं करने के संबंध में ।	14.05.2012	परिवादी तथा प्रतिवादी द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

वित्त विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(वित्त)03/11	श्री गोपालजी श्रीवास्तव सेवा निवृत्त लेखा लिपिक जिला सांख्यिकी कार्यालय हजारीबाग के पेंशन रूपान्तरण से संबंधित शिकायत ।	03.05.2012	परिवादी को माननीय लोकायुक्त के द्वारा त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप पेंशन रूपान्तरण की राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(वित्त)05/2011	श्री राजबल्लभ शर्मा सेवानिवृत्त सहायक लेखापाल का 01.01.96 से अनुमान्य वेतनमान 5000-8000/- में निर्धारित कर अन्तर वेतनादि के भुगतान संबंधी दावे को जानबुझ कर लम्बित रखने के संबंध में प्राप्त शिकायत ।	10.05.2012	परिवादी द्वारा अपने परिवाद के निराकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय में पूर्व में ही रिट दाखिल किया जा चुका है अतः परिवाद लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।

कल्याण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कल्याण)08/08	जिला ग्राम पदाधिकारी जामताड़ा तथा बाल विकास पदाधिकारी कुण्डाहित द्वारा आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में नियमों की अनदेखी किये जाने के संबंध में श्रीमती मुन्नी कुमारी का परिवाद ।	02.05.2012	गलत नियुक्त सेविका की नियुक्ति रद्द कर नया नियुक्ति संबंधित विभाग द्वारा कर लिया गया । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(समाज कल्याण)02/11	मो० रिजवान अहमद सांख्यिकी सहायक समाज कल्याण विभाग चाईबासा व सुश्री एमलेन बिरुवा लिपिक बाल विकास परियोजना (विकास भवन) चाईबासा के विरुद्ध आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का शिकायत ।	14.05.2012	निगरानी ब्यूरो राँची द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में दोनो लोक सेवकों के विरुद्ध लगाये आरोपों को निराधार पाया गया तथा झूठा परिवाद गलत पता देकर दाखिल करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

परिवहन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(परिवहन)06/06	छत्तीसगढ़ राज्य के निजी बस मालिकों के द्वारा झारखण्ड में अवैध तरिके से बस चलाये जाने के संबंध में श्री प्रभात कुमार सचिव झारखण्ड मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन राँची का शिकायत ।	10.05.2012	परिवादी से पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत का अद्यातन स्थिति के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(परिवहन)01/2009	प्रमंडलीय प्रबंधक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम राँची के सेवा निवृत्त चालक मुमजात आलम को सेवान्त लाभ का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	26.05.2012	माननीय उच्च द्वारा इस परिवाद में पूर्व में ही आदेश पारित किया जा चुका है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई संभव नहीं है ।

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पशु)01/06	श्री अरूण कुमार सन्हा सेवा निवृत्त प्रधान लिपिक क्षेत्रीय पशुपालन कार्यालय हजारीबाग को सेवा निवृत्त एवं सरकार के आदेश के बाद भी सुपर टाईम स्केल में प्रोन्नति नहीं देने के संबंध में ।	05.05.2012	परिवादी झारखण्ड राज्य के गठन के पूर्व ही सेवा निवृत्त हो चुके हैं। अतः इनके सभी प्रकार के देय पावनाओं के लिए परिवाद पत्र एवं अन्य जांच प्रतिवेदन लोकायुक्त कार्यालय पटना को हस्तान्तरित कर दिया गया ।
2.				

शिकायत / परिवाद

मई, 2012

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत सं० 294/12	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा का उल्लंघन करने के संबंध में शिकायत ।	02.05.2012	परिवादी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस प्रकार के शिकायत से संबंधित उपचार प्राप्त है। परिवाद पोषणीय नहीं है।
2.	शिकायत सं० 143/12	बन्दोस्त कार्यालय धनबाद में पदस्थापित मो० अनवारूल हक मुनसरीम द्वारा आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के संबंध में श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह से प्राप्त शिकायत ।	02.05.2012	पर्याप्त पत्राचार एवं स्मार पत्र के बाद भी परिवादी द्वारा परिवाद में व्याप्त त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर

				दिया गया ।
3.	शिकायत सं0 304 / 12	परिवादीनी श्रीमती सुजान्तीदेवी के पुत्र राकेश तिवारी का जबरन शादी कराकर घर जमीन हड़पने का धमकी देने के संबंध में शिकायत ।	04.05.2012	इस प्रकार के मामले में परिवादीनी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है अतः परिवाद पर ग्रतर कार्रवाई संभव नहीं है।
4.	शिकायत सं0 279 / 12	स्थायी लोक अदालत गोड्डा के आदेश के बावजूद मानदेय नहीं मिलने के संबंध में मलय कान्त ठाकुर गोड्डा का शिकायत ।	04.05.2012	इस प्रकार के मामले का निष्पादन झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत संभव नहीं है। अतः परिवाद पर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं0 322 / 12	BCCL के शोंदाडीह में 11.32 एकड़ जमीन का मुआवजा का भुगतान नहीं करने के संबंध में गुल्लू रवानी का शिकायत ।	16.05.2012	परिवाद ठक्स के विरुद्ध किया गया है जो भारत सरकार का लोक उपक्रम है । अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
6.	शिकायत सं0 302 / 12	जमीन हड़पने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में श्री कोल्हो पुजहर, करमा दुमका का शिकायत ।	03.05.2012	यह परिवाद दो लोगों का निजी मामला है अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।
7.	शिकायत सं0 307 / 12	श्री विजय मितियस टोप्पो D.C.L.R गुमला के विरुद्ध भ्रष्ट आचरण एवं घूस लेकर गलत निर्णय देने के संबंध में श्री अभिजीत गौतिया पालकोट गुमला का शिकायत ।	15.05.2012	परिवादी को निर्णय के विरुद्ध अन्य कानूनी उपचार प्राप्त है । अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।
8.	शिकायत सं0 303 / 12	विभिन्न स्थानीय अखबारों में छपी खबर को अधार बना कर शिकायत किये जान के संबंध में ।	08.05.2012	परिवाद माननीय लोकायुक्त को संबोधित नहीं रहने के कारण इस कार्रवाई संभव नहीं है।
9.	शिकायत सं0 259 / 12	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक अभियोजन पदाधिकारी के परीक्षा में हुए गड़बड़ी की शिकायत से संबंधित संचिका।	04.05.2012	परिवाद अध्यक्ष झारखण्ड लोक सेवा आयोग के विरुद्ध किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आते है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
10.		झारखण्ड लोक सेवा आयोग के कार्यालय के लिए सहायक/निजी सहायक के पदों पर नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली के संबंध में।	04.05.2012	परिवाद झारखण्ड लोक सेवा आयोग के विरुद्ध किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आते है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं0 295 / 12	माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची एवं समाहर्ता धनबाद के अनुपालन में अतिक्रमित भूम को खाली नहीं कराये जाने के संबंध में श्री संतोष कुमार जयसवाल धनबाद का शिकायत ।	04.05.2012	परिवादी को इस मामले में अन्य अनुतोष का लाभ लेना चाहिए । इस प्रकार के मामले झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।
12.	शिकायत सं0 311 / 12	मीना देवी उर्फ रेखा दत्ता का इनके पति निमाई दत्ता एवं अन्य के विरुद्ध शादी के 10 साल बाद दहेज के लोभ में हत्या करने के संबंध में ।	04.05.2012	परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद पर ग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

13.	शिकायत सं0 323/12	जबरन शादी के मकसद से परिवादी माधो राम ⁰ पुत्री बसन्ती कुमारी का अपहरण करना एवं परिवादी के साथ मार पीट करने के संबंध में शिकायत।	10.05.2012	परिवादी को इस मामले में अन्य अनुतोष का लाभ लेना चाहिए। इस प्रकार के मामले झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।
14.	शिकायत सं0 298/12	सेवास्टियन हेम्ब्रम का साहेबगंज जिल के पतना प्रखण्ड में जमाबंदी सं0 29 दाग सं0 244 एवं 245 पर टाईटलसूट को लेकर विवाद के संबंध में शिकायत।	03.05.2012	परिवादी द्वारा इसी विषय पर पूर्व में ही कार्यालय में परिवाद सं. 603/11 दायर किया गया था जो पूर्व में ही संचिकास्त किया जा चुका है। अतः परिवाद पोषणीय नहीं है।
15.	शिकायत सं0 465/11	जुगसलाई थान पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पूर्व थाना प्रभारी बी0 एन0 सिन्हा व चालक अशोक सिन्हा के द्वारा प्रति दिन लाखों की अवैद्य वसूली करने के संबंध में श्री सुरेन्द्र कुमार साव का शिकायत।	28.05.2012	पर्याप्त पत्राचार के पश्चात भी परिवादी द्वारा परिवाद पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
16.	शिकायत सं0 364/12	प्रमण्डलीय अग्निशामन पदाधिकारी श्री सुरेश प्रसाद द्वारा गलत तरिके से वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ लिये जाने एवं राज्य अग्निशामन केपद का दुरुपयोग करने के संबंध में।	26.05.2012	झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 की धारा 8(1)(क) के अनुसार श्री प्रसाद के वेतन निर्धारण से संबंधित परिवाद पोषणीय नहीं है।
17.	शिकायत सं0 611/11	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राँची में चरम सीमा पर व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री राजीव कुमार महतो, जय प्रकाश नगर हटिया का शिकायत।	26.05.2012	पर्याप्त पत्राचार के पश्चात भी परिवादी द्वारा परिवाद पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
18.	शिकायत सं0 258/15	ई0 पी0 एफ0 कार्यालय राँची द्वारा मजदुरों का शोषण किये जाने संबंधी शिकायत।	04.05.2012	ई0 पी0 एफ0 कार्यालय भारत सरकार का उपक्रम है तथा यह केन्द्र सरकार के अधीन आता है। यह झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है।
19.	शिकायत सं0 284/12	राजेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा सूचना के अधिनियम 2005 के तहत सूचना नहीं मिलने संबंधी शिकायत।	17.05.2012	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस प्रकार के शिकायतों का उपचार उपलब्ध है। अतः परिवाद पोषणीय नहीं है।
20.	शिकायत सं0 253/12	अतिक्रमण में पक्षपात करने के संबंध में मन्नू कुमार मिश्र अंचलाधिकारी लातेहार के विरुद्ध श्री उमाकान्त दूबे लातेहार का शिकायत।	03.05.2012	परिवादी को परिवाद के निरकरण हेतु अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
21.	शिकायत सं0 534/11	शराब माफिया खुशीद एवं नक्सली नेताओं के संरक्षण में चलाये जा रहे अवैद्य व्यापार को बन्द करवाने के संबंध में।	26.05.2012	पर्याप्त पत्राचार के पश्चात भी परिवादी द्वारा परिवाद पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
22.	शिकायत सं0 619/11	परिवादी श्री सुखनन्दन शर्मा जमशेदपुर द्वारा अपने पुत्र को	18.05.2012	पर्याप्त पत्राचार के पश्चात भी परिवादी द्वारा परिवाद

		गलत ढंग से फसाकर जेल भेजने एवं पुलिस एवं अन्य तंत्र द्वारा जातिगत भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई करने संबंधी शिकायत ।		पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
23.	शिकायत सं0 623/11	वैद्य-अवैद्य तरिके से अर्जित व आय से अधिक चल-अचल सम्पति की जांच कर कार्रवाई करने के संबंध में श्री हेमन्त कुमार महतो एवं अन्य का शिकायत ।	18.05.2012	पर्याप्त पत्राचार के पश्चात भी परिवादी द्वारा परिवाद पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
24.	शिकायत सं0 355/12	हिन्दु धर्मिक न्यास श्री राम जानकी मन्दिर, गोपाल नगर पाकुड़ के सरकारी संपति एवं चल- अचल संपति का भूमि माफियाओं के द्वारा गबन किये जाने के संबंध में शिकायत ।	28.05.2012	परिवादी द्वारा पुर्व में किये गये शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा पूर्व में खरिज किया जा चुका है इसी मामले पर पुनः शिकायत पोषणीय नहीं है।अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
25.	शिकायत सं0 17/12	श्री ए.बी. राव आई. जी. विजिलेंस राँची के खिलाफ श्री कृतिमान सिंह एवं अन्य के द्वारा लोक शिकायत ।	29.05.2012	पर्याप्त पत्राचार के पश्चात भी परिवादी द्वारा परिवाद पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
26.	शिकायत सं0 333/12	सूचना जन सम्पर्क विभाग झारखण्ड राँची में डायरी खरीद में घोटाला के संबंध में ।	26.05.2012	शिकायत पत्र पर शिकायतकर्ता का नाम, पता व हस्ताक्षर नहीं रहने के कारण परिवाद पत्र पर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
27.	शिकायत सं0 300/12	श्री प्रवीण कुमार कापरी अटेन्डेन्ट क्षेत्रीय कार्यालय बिस्कोमान दुमका के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के तीन माह बाद भी सेवान्त लाभ का भुगतान नहीं करने के संबंध में ।	22.05.2012	शिकायतकर्ता का सेवान्त लाभ का भुगतान बिस्कोमान पटना से होना है अतः परिवाद पत्र को लोकायुक्त कार्यालय पटना को भेजा गया ।
28.	शिकायत सं0 06/08	वित्त वाणिज्यकर मामले के निष्पादन में प्रति मामले 25000/-रु0 वसूली किये जाने तथा आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के संबंध में श्री के0 सी0 झा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत ।	03.05.2012	पर्याप्त पत्राचार के पश्चात भी परिवादी द्वारा परिवाद पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
29.	शिकायत सं0 31/12	सेविका चयन में फर्जी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में श्री बबलू सिंह से प्राप्त शिकायत ।	03.05.2012	परिवादी द्वारा पने परिवाद के प्रति सजगता नहीं दिखाये जाने के कारण तथा परिवाद कालबाधित रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
30.	शिकायत सं0 270/12	स्थायी स्थापना में स्थायी पद के विरुद्ध सेवा नियमित/समायोजन हेतु श्रीमती गणीता देवी से प्राप्त शिकायत ।	04.05.2012	परिवाद कालबाधित रहने के कारण परिवाद पर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
31.	शिकायत सं0 567/11	श्री राम प्रसाद सिंह कनीय अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग प्रमण्डल गुमला का स्थानान्तरण व पदस्थापन में अनियमितता के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार ओझा मोराबादी राँची का शिकायत ।	04.05.2012	पर्याप्त पत्राचार के पश्चात भी परिवादी द्वारा परिवाद पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

32.	शिकायत सं0 245/11	जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत हो रहे घोटाला में उपायुक्त पलामू की संलिप्ता के संबंध में तिलकुडीह तथा धांगरडीह की ग्रामीण जनता व काशी सिंह से प्राप्त शिकायत ।	10.05.2012	पर्याप्त पत्राचार के पश्चात भी परिवादी द्वारा परिवाद पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
33.	शिकायत सं0 23/12	श्री श्याम लाल मेहरा, मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास विभाग राँची द्वारा आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के संबंध में अमर भूषण कान्ति से प्राप्त शिकायत ।	14.05.2012	पर्याप्त पत्राचार के पश्चात भी परिवादी द्वारा परिवाद पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
34.	शिकायत सं0 286/2012	श्री बिनोद मंडल द्वार सुखी सम्पन्न होने के बावजूद पदाधिकारियों के मिलीभगत से BPL सूची में नाम शामिल होने के संबंध में श्री अजय कुमार पाण्डेय का शिकायत ।	15.05.2012	यह शिकायत दो लोगों का निजी मामला है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
35.	शिकायत सं0 315/2012	देवघर नगर निगम अन्तर्गत होटल बैष्णवी एवं मार्केटिंग कम्पलेक्स की अवैध निर्माण के संबंध में ।	17.05.2012	यह शिकायत माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
36.	शिकायत सं0 418/11	परियोजना पदाधिकारी मेसो क्षेत्र चक्रधरपुर द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत मनचाहे NGO'S को लाभ पहुँचाने के संबंध में री रवि शंकर कुमार का शिकायत ।	26.05.2012	पर्याप्त पत्राचार के पश्चात भी परिवादी द्वारा परिवाद पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
37.	शिकायत सं0 316/12	श्री संजय कुमार टाकुर तत्कालिन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चाईबासा एवं अन्य के विरुद्ध श्री रौशन मिश्रा का शिकायत ।	28.05.2012	इस शिकायत से संबंधित पूर्व में शिकायत सं0 555/2011 संचिकास्त किया जा चुका है। पुनः उसी प्रकार के शिकायत पर कार्रवाई झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।